



सां/No. : 5-1(38)/2008-PD

दिनांक/Dated 23.04.2019

प्रेषक / From :

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

सेवा में / To :

सी.एस.आई.आर. की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालय/एककों के निदेशक/प्रधान
The Directors/Heads of all CSIR National Labs./Instts./Hqrs./Units

महोदय/Sir / महोदया/Madam,

मुझे भारत सरकार द्वारा जारी किए गए निम्नलिखित कार्यालय ज्ञापन को आपकी जानकारी, मार्गदर्शन और अनुपालन के लिए अग्रेषित करने का निदेश हुआ है:

I am directed to forward herewith the following Office Memorandum issued by the Government of India for your information, guidance and compliance:

क्रम सं./ Sl. No.	कां.ज्ञां.सं./ O.M. No.	विषय/ Subject
1.	भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 10.04.2019 के कार्यालय ज्ञापन सं. 12/3/2016-जेसीए-2 Govt of India, MoP, PG&P, Deptt of Personnel & Training O.M. No. 12/3/2016-JCA-2 dated 10.04.2019	लोक सभा 2019 के आम चुनावों तथा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा एवं सिक्किम की विधान सभाओं के आम चुनाव और विभिन्न राज्यों के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में रिक्त सीटों को भरने के लिए उप चुनावों के सम्बंध में केंद्र सरकार के कार्यालयों का बंद रहना – सवेतन अवकाश प्रदान करने के सम्बंध में। Closing of Central Government Offices in connection with General Elections to Lok Sabha 2019 and General Election to the Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha & Sikkim and Bye- elections to fill the clear vacancies in Assembly Constituencies of various States – Grant of Paid Holiday – regarding.

भवदीय/Yours faithfully

(सिद्धार्थ दे / Siddhartha Dey)
अनु. अधि. (नीति प्रभाग)/ SO(PD)

संलग्न/Encl. : यथोपरि/As above

प्रतिलिपि/Copy to:

- आई.टी. प्रभाग प्रमुख वेबसाइट और पॉलिसी रिपॉजिटरी पर इस परिपत्र को उपलब्ध कराने के अनुरोध के साथ/
Head, IT Division with the request to make this circular letter available on the website & Policy Repository.
- कार्यालय प्रति/Office copy.

भारत सरकार
कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
स्थापना (जसीए-2) अनुभाग


नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली
दिनांक 10 अप्रैल, 2019

कार्यालय-जापन

विषय: लोक सभा 2019 के आम चुनावों तथा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा एवं सिक्किम की विधान सभाओं के आम चुनाव और विभिन्न राज्यों के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में रिक्त सीटों को भरने के लिए उप चुनावों के संबंध में केन्द्र सरकार के कार्यालयों का बंद रहना- सवेतन अवकाश प्रदान करने के संबंध में।

2019 में होने वाले लोक सभा, 2019 के आम चुनावों तथा आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, ओडिशा एवं सिक्किम की विधान सभाओं के आम चुनाव और विभिन्न राज्यों के विधान सभा निर्वाचन क्षेत्रों में रिक्त सीटों को भरने के लिए उप-चुनावों के संबंध में अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग द्वारा दिनांक 10 अक्टूबर, 2001 के का.जा.सं. 12/14/99-जेसीए द्वारा पहले ही निम्नलिखित दिशानिर्देश जारी किए जा चुके हैं जिनका राज्यों में औद्योगिक संस्थापनों सहित केन्द्र सरकार के कार्यालयों को बंद रखने के लिए अनुपालन किया जाना है:-

- (i) ऐसे अधिसूचित क्षेत्रों, में मतदान वाले दिन संबंधित कार्यालय/संगठन बंद रहेंगे जहां लोक सभा तथा राज्य विधान सभा के आम चुनाव आयोजित होने हैं।
 - (ii) राज्य विधानसभा के लिए उप-चुनाव के संबंध में केवल ऐसे कर्मचारियों को मतदान वाले दिन विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाना चाहिए जो संगत निर्वाचन क्षेत्र में वास्तविक मतदाता हैं। ऐसे कर्मचारी को भी विशेष आकस्मिक अवकाश प्रदान किया जाना चाहिए जो सामान्य रूप से निर्वाचन-क्षेत्र का निवासी है और एक मतदाता के रूप में पंजीकृत है, लेकिन वह आम चुनाव/उप-चुनाव होने वाले निर्वाचन क्षेत्र के बाहर अवस्थित किसी केन्द्र सरकारी संगठन/औद्योगिक संस्थापन में कार्यरत है।
2. उपर्युक्त अनुदेशों को सभी मंत्रालयों के संज्ञान में लाया जाए।


(जुगलाल सिंह)
उप सचिव (जेसीए)

सेवा में,

1. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
2. संघ लोक सेवा आयोग/केंद्रीय सतर्कता आयोग/नियंत्रक और महालेखा परीक्षक/प्रधानमंत्री कार्यालय/लोक सभा सचिवालय/राज्य सभा सचिवालय/राष्ट्रपति सचिवालय/उप राष्ट्रपति सचिवालय/उच्चतम न्यायालय/ उच्च न्यायालय/केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण।
3. कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय/गृह मंत्रालय के सभी संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालय।
4. सचिव, कर्मचारी पक्ष, राष्ट्रीय परिषद (जेसीएम), 13-सी, फिरोजशाह रोड, नई दिल्ली।
5. कर्मचारी पक्ष, विभागीय परिषद के सदस्य (जेसीएम), कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
6. सभी राज्यों में केंद्र सरकारी कर्मचारी कल्याण समन्वय समितियों के अध्यक्ष/सचिव।
7. राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग/राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग/राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग।
8. राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य सचिव।
9. भारत के निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली।

F. No.12/3/2016-JCA-2
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
(Department of Personnel & Training)
* Establishment (JCA-2) Section


North Block, New Delhi
Dated April/a 2019

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Closing of Central Government Offices in connection with General Elections to Lok Sabha 2019 and General Election to the Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha & Sikkim and Bye- elections to fill the clear vacancies in Assembly Constituencies of various States- Grant of Paid Holiday - regarding

The undersigned is directed to say that in connection with the General Elections to the Lok Sabha 2019 and General Election to the Legislative Assemblies of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha & Sikkim and Bye - elections to fill the clear vacancies in Assembly Constituencies of various State scheduled to be held in 2019, the following guidelines, already issued by DOPT vide OM No. 12/14/99-JCA dated 10th October, 2001, have to be followed for closing of the Central Government Offices including Industrial Establishments in the States:-

- (i) The relevant offices/organizations shall remain closed on the day of poll in the notified areas where general elections to the Lok Sabha and State Legislative Assembly are scheduled to be conducted.
 - (ii) In connection with bye-election to State Assembly, only such of the employees who are bona-fide voters in the relevant constituency should be granted special casual leave on the day of polling. Special Casual leave may also be granted to an employee who is ordinarily a resident of constituency and registered as a voter but employed in any Central Government Organization/Industrial Establishment located outside the constituency having a general/bye-election.
2. The above instructions may be brought to the notice of all concerned.


(Juglal Singh)

Deputy Secretary (JCA)

- To
1. All Ministries/Departments of Government of India.
 2. UPSC/CVC/C&AG/PM's Office/Lok Sabha Secretariat/Rajya Sabha Secretariat/President's Secretariat/Vice President's Secretariat/ Supreme Court/High Court/ Central Administrative Tribunal.
 3. All attached and subordinate offices of Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions/MHA
 4. Secretary, Staff Side, National Council (JCM), 13-C, Ferozeshah Road, New Delhi.
 5. Staff Side Members of the Departmental Council (JCM), Ministry of Personnel, P.G. and Pensions.
 6. Chairman/Secretary, Central Government Employees Welfare Coordination Committee in all the States.
 7. National Commission for Scheduled Castes/National Commission for Scheduled Tribes/National Commission for Minorities
 8. Chief Secretary, all the State Governments/UTs